

**To Provide Compensation to the Farmers**

781. SMT. NAINA SINGH CHAUTALA, MLA: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

- a) whether it is a fact that the crops of wheat, mustard, vegetables and gram etc. of farmers have caused huge loss due to heavy rain and hailstorm in Dadri and Badhra; and
- b) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide compensation to the abovesaid farmers by conducting special girdawari togetherwith the details thereof ?

SH. DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA

- a) Sir, according to the preliminary report received from Deputy Commissioner Charkhi Dadri, crop damage due to unseasonal rain and hailstorm in Charkhi Dadri district is as under:

Name of district	Name of tehsil and village	Damage area in acres				Tentative area (in acres)
		≥ 25% to < 33%	≥33% to <50%	≥50% to <75%	≥ 75% and above	
Charkhi Dadri	15 villages of tehsil Charkhi Dadri and 25 villages of tehsil Badhra	8731	19165	15303	8865	52064

- b) Yes sir, vide Govesrnmnt letter No. 218-ER-1-2022/1152, dated 02.03.2022 all the Deputy Commissioners of the State has been requested that if any damage or loss in rabi crops is found after completion of normal girdawari in any village then by conducting special girdawari of those villages, report of damage in rabi crops 2022 may be forwarded to the Government through concerned Divisional Commissioner as per norms/instructions dated 28.01.2022. According to the general/special girdawari report, if crop damage is found in the State, then after inspecting the report of the damage received through the Divisional Commissioner of the State, necessary action for providing compensation will be taken as per the norms/instruction of the Government.

## किसानों को मुआवजा उपलब्ध करवाना

781. श्रीमती नैना सिंह चौटाला, एम0एल0ए0: क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएं कि—

- (क) क्या यह तथ्य है कि दादरी तथा बाढ़ड़ा में भारी वर्षा तथा ओलावृष्टि के कारण किसानों की गेंहूँ, सरसों, सब्जियों तथा चना इत्यादि की फसलों का भारी नुकसान हुआ है; तथा
- (ख) क्या वि. शेष गिरदावरी करवा कर उपरोक्त किसानों को मुआवजा उपलब्ध करवाने को कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है तथा इसका ब्यौरा क्या है ?

श्री दुश्यंत चौटाला, उप-मुख्यमंत्री, हरियाणा

- (क) श्रीमान जी, उपायुक्त चरखी दादरी से प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट अनुसार जिला चरखी दादरी में बेमौसमी वर्षा तथा ओलावृष्टि के कारण फसल खराबे का विवरण निम्न प्रकार से है:—

जिला का नाम	तहसील तथा गांव का नाम	खराबा क्षेत्र एकड़ों में				अनुमानित क्षेत्र एकड़ों में
		≥ 25% to < 33%	≥ 33% to < 50%	≥ 50% to < 75%	≥ 75% and above	
चरखी दादरी	तहसील चरखी दादरी के 15 गांव तथा तहसील बाढ़ड़ा के 25 गांव	8731	19165	15303	8865	52064

- (ख) हाँ श्रीमान जी, सरकार के पत्र क्रमांक 218-ई0आर0-1-2022/1152, दिनांक 02.03.2022 द्वारा राज्य के सभी उपायुक्तों को यदि किसी गांव में सामान्य गिरदावरी पूर्ण होने उपरान्त कोई खराबा या रबी फसलों को कोई नुकसान पाया जाता है तो उन गांवों की वि. शेष गिरदावरी करवाकर सरकार द्वारा जारी [मानदण्डों/हिदायतें](#) दिनांक 28.01.2022 अनुसार रबी फसल 2022 में हुए खराबे की रिपोर्ट सम्बन्धित मण्डलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार को भिजवाने का अनुरोध किया गया है। सामान्य/वि. शेष गिरदावरी रिपोर्ट अनुसार यदि राज्य में कोई फसल नुकसान पाया जाता है तो राज्य के मण्डलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त खराबा रिपोर्ट का निरीक्षण करने उपरान्त सरकार के मानदण्डों/हिदायत अनुसार मुआवजा प्रदान करने बारे आवश्यक कार्रवाही कर ली जायेगी।